भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 470

जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

अर्द्ध सैनिक बलों को पेंशन

470. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अपवाद के रूप में चिह्नित किया गया था और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संविधान की सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 246 में उल्लेख है कि भारत संघ के सशस्त्र बलों में नौसेना, सेना और वायु सेना और संघ के अन्य सशस्त्र बल शामिल हैं;

(ग) यदि, हां तो क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि के लिए पुरानी पेंशन योजना हेतु आदेश जारी करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई आदेश जारी किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ड.): आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 22.12.2003 की राजपत्र अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर के अनुसार सरकार ने निर्धारित लाभ पेंशन योजना की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर पहले चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए एक नयी पुनर्संरचित निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना आरंभ की थी। यह प्रणाली दिनांक 1.01.2004 से केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त होने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ के पवन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा रिट याचिका (सी) सं. 12712/2021 और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 11.01.2023 के आदेश के द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना देने के निदेश दिए हैं। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नीतिगत मामला है।

*****